भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1194
03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान के लाभार्थी
1194. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या प्रत्येक राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) का लाभ मिल रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने पीएम-किसान का लाभ उठाने वाले अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के तहत, देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देशभर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ वितरण किया है।

सभी राज्यों के पात्र किसानों को पीएम-किसान का लाभ मिल रहा है। पीएम-किसान के तहत 18वीं किस्त के दौरान लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

इस योजना का लाभ पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित किया जाता है। यह योजना शुरू में एक ट्रस्ट-आधारित प्रणाली पर शुरू हुई थी, जहाँ लाभार्थियों को राज्यों द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर पंजीकृत किया गया था। शुरुआत में, कुछ राज्यों के लिए आधार सीडिंग में भी छूट दी गई थी। बाद में, इसके निवारण के लिए, पीएफएमएस (PFMS), यूआईडीएआई (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए। इसके अलावा, आधार आधारित भुगतान और ई-केवाईसी के साथ भूमि सीडिंग को अनिवार्य कर दिया गया। इन अनिवार्य

मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले किसानों को लाभ मिलना बंद हो गया। जैसे ही ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे, उन्हें योजना का लाभ उनकी देय किस्तों, यदि कोई हैं, के साथ मिलेगा।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आयकर दाता, उच्च आय वर्ग, सरकारी कर्मचारी आदि के कारण चिन्हित अपात्र किसानों से वसूली शुरू कर दी गई है। देशभर में अब तक ऐसे अपात्र लाभार्थियों से कुल 335 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

अनुबंध

पीएम-किसान के तहत 18वीं किस्त के दौरान जारी लाभों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	18वीं किस्त (अगस्त - नवंबर 2024)	
		लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (रुपये करोड़ में)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	12,832	2.80
2	आंध्र प्रदेश	41,22,252	836.31
3	अरुणाचल प्रदेश	90,444	25.60
4	असम	18,87,227	403.44
5	बिहार	75,80,445	1,544.40
6	चंडीगढ़		
7	छत्तीसगढ़	24,96,294	566.34
8	दिल्ली	10,765	2.23
9	गोवा	6,332	1.33
10	गुजरात	49,12,111	1,038.67
11	हरियाणा	15,98,937	341.98
12	हिमाचल प्रदेश	8,17,494	171.88
13	जम्मू और कश्मीर	8,58,257	182.54
14	झारखंड	19,97,224	545.97
15	कर्नाटक	43,47,737	941.76
16	केरल	28,15,143	597.93
17	लद्दाख	18,201	3.77
18	लक्षद्वीप	2,198	0.45
19	मध्य प्रदेश	81,36,105	1,681.86
20	महाराष्ट्र	91,41,983	1,888.21
21	मणिपुर	85,917	42.78
22	मेघालय	1,50,412	33.91
23	मिजोरम	1,10,285	31.36
24	नागालैंड	1,71,914	42.84
25	ओडिशा	31,48,993	688.53
26	पुदुचेरी	8,032	1.63
27	पंजाब	9,26,039	272.77
28	राजस्थान	70,31,163	1,544.86
29	सिक्किम	28,100	6.66
30	तमिलनाडु	21,94,272	455.86
31	तेलंगाना	30,77,274	627.46
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	11,587	2.44
33	त्रिपुरा	2,29,303	47.65
34	उत्तर प्रदेश	2,25,72,533	4,980.88
35	उत्तराखंड	7,96,926	168.75
36	पश्चिम बंगाल	45,02,904	931.49
	सकल योग	**9,58,97,635**	**20,657.36**

*****